

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- ईसरदा

प्रकरण संख्या:- 3/4/25

दिनांक:- 3/10/25

उत्नवान

श्री करलेश दुर्गा
राजेश्वर शर्मा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के माध्यम से
हल्का ईसरदा भू. अ. नि. शिवाय एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की
रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत
ग्राम ईसरदा प. 0 ह. 0 ईसरदा (29) की वर्तमान स्थायी
जमाबन्दी के खाता संख्या 796,797 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये
जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>नाथ कश्यप</u>	<u>राजेश्वर दुर्गा</u> <u>राजेश्वर शर्मा</u> <u>शाम्भू</u>	<u>करलेश राजेश्वर शर्मा</u> <u>दुर्गा राजेश्वर शर्मा</u> <u>(बोव कश्यप)</u> <u>ईसरदा बरवाड़ा</u>

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

